

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हेमा राजवती / कुलचत

570
2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

2.

21/12/21



आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की सयुक्त आराजी कृषि भूमि स्थित वाके ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के हाल खाता संख्या 61 के खसरा नम्बर 104 रकबा 0.83 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 4721/16600, वादी संख्या 2 का हिस्सा 6553/16000 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1144/8300, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1112/8300, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 407/8300 राजस्व रिकार्ड में अंकित है व हाल खाता संख्या 74 के खसरा नम्बर 102 रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 2 का हिस्सा 1029/4400 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 631/4400, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 512/4400, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 557/4400, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 512/4400, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 150/4400 एवं प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1009 /4400 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है | आराजीयात को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 मनबट के आधार पर बंटवारा कर कृषि कार्य करते आ रहे है किन्तु उक्त आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादीगण ने अपनी आराजीयात को काफी धन व श्रम खर्च कर उपजाऊ बना रखा है तथा अपने हिस्से की भूमि को उपयोग-उपभोग में लेता आ रहा है | वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को कई बार उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आये दिन कोई न कोई बहाना बनाकर विधिवत बंटवारा करने से इंकार करते रहते है | अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 कुछ दीगर व्यक्तियों को लेकर वादीगण के कब्जे काशत वाली भूमि पर आये और विक्रय करने हेतु बात करने लगे, वादीगण में प्रतिवादीगण को कहा कि आप विधिवत बंटवारा करवाले उसके बाद में अपनी भूमि को विक्रय करेंगे, उसमे निर्माण करवायेंगे तथा विधिवत बंटवारा करने से इंकार कर दिया | इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है | वादी ने वाद के अन्य बिन्दुयो के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि हाल खाता संख्या 74 के खसरा नम्बर 102 रकबा 0.44 हैक्टेयर ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा कर अलग से खाता बनवाया जावे तथा उसी अनुसार लगान निर्धारण किया जावे एवं सीमा निर्धारण की जावे | प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि उक्त वर्णित आराजीयात का जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक विक्रय, रहन, इकरारनामा इत्यादि किसी दीगर व्यक्ति को नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

570
2021

हेमा शिवानी | पूलचर

अहमदाबाद
हुकम की उ हुकम
में जारी है

करे, तथा न ही उस पर किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि करे, ऐसा न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 14/12/2020 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर, तहसीलदार सांगानेर को वादग्रस्त आराजीयात की बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुरैजात रिपोर्ट तैयार कर, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा नकशे कुरैजात प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनकर, बाद बहस पर मनन दिनांक 16/02/2021 को अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर, अंतिम निर्णय डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोंडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में तकासमा कुरैजात तैयार करने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया है एवं कुरैजात अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं। कुरैजात तैयार करते समय तकासमा के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये एवं बिना राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओं पर ध्यान न देकर अपीलाधीन निर्णय त्रुटीपूर्ण पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अंतिम निर्णय डिक्री खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को कुरैजात बाबत सूचित किया था किन्तु अपीलान्ट्स जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्राथमिक निर्णय डिक्री अनुसार एवं तकासमा के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुरैजात तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुरैजात का परीक्षण कर, कुरैजात पर उभयपक्षकारान की बहस सुनकर अंतिम निर्णय डिक्री पारित की है जिसमे कोई त्रुटी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।



Jain
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हेमा राववती | वृत्तचर

570
2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

3

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया | अपील मीमो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस अभिभाषकगण की मुख्य आपत्ति यह रही है कि तहसील से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट के सन्दर्भ में आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर गौर किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया है जबकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तहसील से कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात एवं प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होने पर पक्षकारान को आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर विस्तृत निर्णय पारित किया गया है | विचाराधीन प्रकरण में सभी पक्षकार प्रश्नगत आराजी के क्रेतागण है जिनको मूल खातेदार द्वारा बेचीं गयी आराजीयात के अनुरूप ही मौके पर कुरैजात रिपोर्ट में यथास्थान दर्शाया गया है | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपीलों क्रमशः दिनांक 14/12/2020 व 16/02/2021 में किसी प्रकार की त्रुटी नही पाये जाने से दोनों अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है | जहाँ तक प्रार्थी क्रास ऑब्जेक्शनकर्ता का प्रश्न है, प्रार्थी द्वारा क्रास ऑब्जेक्शन स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है | मियाद के सन्दर्भ में बिन्दु प्रार्थना पत्रों में निहित किये गये है उससे मियाद के सन्दर्भ में कोई लाभ प्रार्थी को नही दिया जा सकता | अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्रास ऑब्जेक्शन मियाद बाहर प्रस्तुत होने से खारिज किया जाता है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 21/12/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |


राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

